भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2863

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

आंध्र प्रदेश में सौर लाइटें

2863. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

श्री बी.के. पार्थसारथी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और आंध्र प्रदेश के लिए ज़िला-बार अविद्युतीकृत घरों की संख्या कितनी है;

(ख) सड़कों और बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) में स्वीकृत और स्थापित सौर लाइटों की राज्य-बार और आंध्र प्रदेश के लिए ज़िला-वार संख्या कितनी है;

(ग) विशेषकर कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों में स्वीकृत और स्थापित सौर ऑफ-ग्रिड प्रणालियों की संख्या का राज्य-बार और आंध्र प्रदेश के लिए ज़िला-बार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अविद्युतीकृत पीवीटीजी के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत सरकार वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर, 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) तथा वर्तमान में वर्ष 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण योजना (RDSS) जैसी योजनाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली तक पहुंच प्रदान करने में राज्य के प्रयासों में सहायता कर रही है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, तथा उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा किया गया था। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए थे। दोनों योजनाएं दिनांक 31.03.2022 से बंद हो चुकी हैं।

आरडीएसएस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से संबंधित घरों, प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित घरों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में घरों के अंतर्गत, जहां कहीं भी व्यवहार्य पाया जाता है, **13.65 लाख** शेष घरों के लिए **6,521**, **करोड़ रुपये** के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। आरडीएसएस की विभिन्न पहल के अंतर्गत स्वीकृत घरों का विवरण

अनुलग्नक-I में दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश में स्वीकृत और विद्युतीकृत घरों का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख) आंध्र प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्पोरेशन लि. (एनआरईडीसीएपी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऑफ-ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग चरण-III कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में स्थापित सौर लाइटों का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	जिला	स्थापित स्ट्रीट लाइटों की संख्या
1.	नेल्लोर	143
2.	विशाखापत्तनम	13
3.	वाईएसआर कडप्पा	684
4.	अनंतपुरम्	1,128
Total		**1,968**

(ग) नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) के पीएम जनमन घटक के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश में स्वीकृत और विद्युतीकृत पीवीटीजी घरों का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत घरों की संख्या	विद्युतीकृत घरों की संख्या (दिनांक 31.10.2025 तक)
1.	प्रकाशम	611	522
2.	अल्लूरी सीतारामाराजू	731	165
3.	एलुरु	305	17
4.	पार्वतीपुरम-मण्यम	28	6
Total		**1675**	**710**

(घ) नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) के पीएम जनमन घटक के तहत ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	लाख रु. में जारी निधियां (दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	36.60
2.	झारखंड	642.98
3.	कर्नाटक	62.65
4.	तेलंगाना	44.1
5.	त्रिपुरा	596.05
Total		**1382.38**

विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पीएम-जनमन के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए चिन्हित घरों के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

'आंध्र प्रदेश में सौर लाइटें' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

आरडीएसएस की विभिन्न पहलों के तहत स्वीकृत घरों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रु. में)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रु. में)	कुल स्वीकृत घर
क. आरडीएसएस के तहत स्वीकृत अतिरिक्त घर				
1	**आंध्र प्रदेश**	**49.24**	**29.55**	**15,475**
2	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.4	6,506
3	असम	785.55	706.99	127,111
4	बिहार	238.86	143.32	35,467
5	छत्तीसगढ़	166.55	99.93	34,078
6	जम्मू और कश्मीर	106.7	96.03	15,359
7	झारखंड	25.16	15.09	4,853
8	केरल	0.33	0.2	40
9	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	196
10	मणिपुर	214.44	193	36,972
11	मेघालय	435.7	392.13	50,501
12	मिजोरम	79.9	71.91	15,167
13	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
14	राजस्थान	1,526.94	916.16	338,702
15	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	251,487
ख. वाइब्रेंट विलेज में आरडीएसएस के तहत स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य				
1	हिमाचल प्रदेश	6.08	5.47	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
ग. पीएम-जनमन के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण				
C1. आरडीएसएस के तहत स्वीकृत पीवीटीजी घर				
1	**आंध्र प्रदेश**	**88.71**	**53.23**	**24,967**
2	छत्तीसगढ	38.16	22.9	7,077
3	झारखंड	74.13	44.48	12,442
4	कर्नाटक	3.76	2.26	1,615
5	केरल	0.86	0.52	345
6	मध्य प्रदेश	148.83	89.28	30,216
7	महाराष्ट्र	26.61	15.97	8,556

8	राजस्थान	40.34	24.2	17,633
9	तमिलनाडु	29.89	17.93	8,603
10	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
11	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
12	उत्तर प्रदेश	1.1	0.66	316
13	उत्तराखंड	0.6	0.54	669
C2. राज्य योजना में शामिल पीवीटीजी घर				
1	गुजरात	0	0	0
2	ओडिशा	0	0	0
3	पश्चिम बंगाल	0	0	0
C3. आरडीएसएस के तहत स्वीकृत सार्वजनिक स्थान				
1	मध्य प्रदेश	0	0	25
D. डीए-जेजीयूए के तहत चयनित जनजातीय घरों का विद्युतीकरण				
D1. आरडीएसएस के तहत स्वीकृत डीए-जेजीयूए घर				
1	**आंध्र प्रदेश**	**19.12**	**11.47**	**4,921**
2	अरुणाचल प्रदेश	8.2	7.38	1,938
3	बिहार	61.4	36.84	7,117
4	छत्तीसगढ	218.44	131.06	39,579
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	93
6	जम्मू एवं कश्मीर	89.84	80.85	13,824
7	झारखंड	92.44	55.47	19,467
8	कर्नाटक	41	24.6	5,288
9	केरल	5.73	3.44	1,080
10	मध्य प्रदेश	305.66	183.4	59,172
11	महाराष्ट्र	23.6	14.16	6,961
12	राजस्थान	197.11	118.26	82,842
13	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
15	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	6,867
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	207
D2. राज्य योजना के तहत शामिल डीए-जेजीयूए घर				
1	ओडिशा	0	0	0
D3. आरडीएसएस के तहत स्वीकृत डीए-जेजीयूए सार्वजनिक स्थान				
1	**आंध्र प्रदेश**	**0.7**	**0.42**	**182**
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	7
4	झारखंड	8.25	4.95	1,910
5	केरल	0.15	0.09	17
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	650
7	राजस्थान	0.7	0.42	195
8	तेलंगाना	2.9	1.74	672
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	512

10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30
11	उत्तराखंड	0.08	0.07	19
D4. राज्य योजना के तहत शामिल डीए-जेजीयूए सार्वजनिक स्थान				
1	ओडिशा	0	0	0
E. पीएम-अजय के अंतर्गत स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य				
1	**आंध्र प्रदेश**	**3.5**	**2.1**	**811**
2	झारखंड	6.141	3.684	1,782
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6
4	महाराष्ट्र	6.81	4.086	2,012

'आंध्र प्रदेश में सौर लाइटें' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

आंध्र प्रदेश में दिनां 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और विद्युतीकृत घर

1. आरडीएसएस अंतर्गत विद्युतीकृत घर:

आंध्र प्रदेश, आरडीएसएस के तहत छूटे हुए एचएच				
क्र.सं.	**डिस्कॉम**	**जिला (पुराना)**	**स्वीकृत घर (सं)**	**प्रगति (सं)**
1	APEPDCL	श्रीकाकुलम	44	51
2		विजयनगरम	4,233	3,789
3		विशाखापत्तनम	7,851	8,661
4		राजामहेंद्रवरम	3,100	2,558
5		एलुरु	247	247

2. पीएम-जनमन के तहत - पीवीटीजी (ऑन-ग्रिड):

आंध्र प्रदेश, पीएम जनमन				
क्र.सं.	**डिस्कॉम**	**जिला (नया)**	**स्वीकृत घर (सं)**	**प्रगति (सं)**
1	APCPDCL	गुंटूर	772	770
2		प्रकाशम	982	982
3	APEPDCL	श्रीकाकुलम	828	851
4		विजयनगरम	150	99
5		पीवीपी मन्यम	3407	3400
6		एएसआर	17502	17279
7		काकीनाडा	0	0
8		अंकापल्ली	0	160
9		ईस्ट गोदावरी	4	39
10		एलुरु	1196	1196
11	APSPDCL	नंदयाल	126	149

3. डीए-जेजीयूए के तहत:

आंध्र प्रदेश, डीए जेजीयूए				
क्र.सं.	**डिस्कॉम**	**जिला (नया)**	**स्वीकृत घर और सार्वजनिक संस्थान (सं)**	**प्रगति (सं)**
1	APEPDCL	एएसआर	1559	920
2		अंकापल्ली	276	145
3		काकीनाडा	171	136
4		पार्वतीपुरम मान्यम	1696	1565
5		श्रीकाकुलम	5	5
6		विजयनगरम	38	8

7	APCPDCL	Palnadu	219	218
8	APSPDCL	अनंतपुर	498	326
9		अन्नमय्या	300	300
10		कुरनूल	25	25
11		नांदयाल	21	14
12		तिरुपति	35	35
13		वाईएसआर कडपा	260	260

4. पीएम- अजय के अंतर्गत:

आंध्र प्रदेश, पीएम-अजय				
क्र.सं.	**डिस्कॉम**	**जिला (नया)**	**स्वीकृत घर (सं)**	**प्रगति (सं)**
1	APSPDCL	अन्नमय्या	1	0
2		चित्तूर	393	205
3		नेल्लोर	48	0
4		कुरनूल	10	10
5		तिरुपति	348	0
6		वाईएसआर कडपा	11	11

'आंध्र प्रदेश में सौर लाइटें' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.12.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

पीएम-जनमन के तहत ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए चयनित परिवारों के लिए निधि के व्यय की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रु. में)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रु. में)	संचयी जारी जीबीएस (करोड़ रु. में)
1	कर्नाटक	3.76	2.26	1.1
2	महाराष्ट्र	26.61	15.97	7.9
3	राजस्थान	40.34	24.20	11.9
4	तेलंगाना	6.79	4.07	2.0
5	त्रिपुरा	61.52	55.37	27.7
6	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	0.2
7	उत्तराखंड	0.60	0.54	0.5
8	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	26.2
9	छत्तीसगढ़	38.16	22.90	11.3
10	केरल	0.86	0.52	0.2
11	मध्य प्रदेश	148.97	89.37	36.3
12	तमिलनाडु	29.89	17.93	8.8
13	झारखंड	74.13	44.48	22.5
14	बिहा	0.28	0.17	0.05

मध्य प्रदेश में 0.14 करोड़ रुपये, केरल में 0.06 करोड़ रुपये और उत्तराखंड में 0.49 करोड़ रुपये को छोड़कर जारी की गई सभी वास्तविक धनराशि का उपयोग किया गया है।
